*[प्राधिकृत अनुवाद]*

# हरियाणा विधान सभा

**2026 का विधेयक संख्या 1—एच०एल०ए०**

## हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2026

**मार्च, 2026 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से किन्हीं और कतिपय राशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए**

**विधेयक**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

**1.** यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

वित्त वर्ष 2025—26 के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से ₹35,02,00,000 /— का दिया जाना।

**2.** इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 11 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक ऐसी राशियां, जो कुल मिलाकर ₹35,02,00,000/— (केवल पैंतीस करोड़ दो लाख रुपये) होती है, ऐसे विभिन्न खर्चों को चुकाने के लिए, जो उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बारे में मार्च 2026 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2025—26 के दौरान भुगतान के सिलसिले में होंगे, हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जा सकेंगी।

विनियोग।

**3.** इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो मार्च, 2026 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गए हैं।

अनु

| मांग संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | मुख्य शीर्ष | राशियां, जो निम्नलिखित से अधिक न हों | | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान | संचित निधि पर प्रभारित | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ₹ | ₹ | ₹ |
| 15 | श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/रोजगार/ युवा मामले) | | | | |
| | | 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास) | 1,00,000 | — | 1,00,000 |
| | | **कुल** | **1,00,000** | **—** | **1,00,000** |
| 16 | सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण/अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय/भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण | | | | |
| | | 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण | 1,00,000 | — | 1,00,000 |
| | | **कुल** | **1,00,000** | **—** | **1,00,000** |
| 19 | ऊर्जा विभाग (विद्युत/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन | | | | |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | **कुल जोड़** | **2,00,000** | **—** | **2,00,000** |

**सूची**

| मुख्य शीर्ष | राशियां, जो निम्नलिखित से अधिक न हों | | जोड़ | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| पूंजीगत | विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान | संचित निधि पर प्रभारित | | राजस्व और पूंजीगत |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| | — | — | — | 1,00,000 |
| | **—** | **—** | **—** | **1,00,000** |
| | — | — | — | 1,00,000 |
| | **—** | **—** | **—** | **1,00,000** |
| 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | — | 35,00,00,000 | 35,00,00,000 | 35,00,00,000 |
| **कुल** | **—** | **35,00,00,000** | **35,00,00,000** | **35,00,00,000** |
| **कुल जोड़** | **—** | **35,00,00,000** | **35,00,00,000** | **35,02,00,000** |

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2025–26 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है।

नायब सिंह,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

---

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ : राजीव प्रसाद,
दिनांक : 26 फरवरी, 2026 सचिव।

*अवधेय:* उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 26 फरवरी, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

12439—H.V.S.—H.G.P., Chd.